



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 25034 वर्ष 2004

लाल बहादुर पाठक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: बी.सी. नाइक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 10)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी. नाइक तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.06.2004 को नलकूप खंड, चंदौली, जनपद वाराणसी के अधिशासी अभियंता द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को इस आरोप के आधार पर तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने कूटरचित अंकपत्रों एवं प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करके विभाग में नियुक्ति प्राप्त की थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि मूल याचिकाकर्ता लाल बहादुर पाठक, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है और उनके विधिक उत्तराधिकारियों को दिनांक 23.02.2021 के आदेश द्वारा अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया गया है, को प्रारंभ में दिनांक 04.11.1972 को नलकूप खंड, वाराणसी में कार्य-प्रभारित कर्मचारी/नलकूप चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने वर्ष 1981 में अखिल भारतीय धार्मिक संस्कृत विद्यापीठ, वाराणसी से मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने नलकूप चालक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आवेदन किया। यद्यपि उनका चयन हो गया था, तथापि याचिकाकर्ता का नाम नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त मध्यमा की योग्यता हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष नहीं थी। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया।
4. तत्पश्चात्, दिनांक 08.06.1984 के पत्र के माध्यम से नलकूप खंड-द्वितीय, वाराणसी के अधिशासी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, नलकूप मंडल, वाराणसी को सूचित किया कि अखिल भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ की मध्यमा की डिग्री को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष माना गया है और इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रमाण-पत्र भी अधिशासी अभियंता द्वारा संलग्न किया गया था। अधिशासी अभियंता ने याचिकाकर्ता की नलकूप चालक के पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने पर विचार किए जाने हेतु याचिकाकर्ता के मामले की संस्तुति भी की थी।
5. पुनः, अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 06.07.1984 तथा 19.07.1984 को भी इसी प्रकार की संस्तुतियाँ की गईं। तत्पश्चात्, दिनांक 19.07.1984 को अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत, याचिकाकर्ता को दिनांक 31.07.1984 के नियुक्ति पत्र द्वारा नलकूप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खंड-प्रथम, वाराणसी में नियमित नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सेवा में कार्यरत रहा और बाद में उसे नियमानुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया, क्योंकि नलकूप चालक के पद का नाम परिवर्तित कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कर दिया गया था।

6. तत्पश्चात्, दिनांक 10.05.2010 को की गई कुछ शिकायतों के आधार पर याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त की थी। इसी दौरान, दिनांक 20.05.2002 को मूल याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467 एवं 468 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 114 वर्ष 2002 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई। इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.01.2003 को अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियुक्ति प्राप्त करते समय उसने कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था तथा उसने मध्यमा के संबंध में अखिल भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ से प्राप्त अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किए थे, जिसकी परीक्षा उसने वर्ष 1981 में उक्त संस्था से उत्तीर्ण की थी। उपर्युक्त अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त, नलकूप चालक के पद पर अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कभी कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई शिकायत ऐसे किसी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति के समय कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता की नलकूप चालक के पद पर नियुक्ति वर्ष 1984 में हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित कूटरचित दस्तावेज वर्ष 2000 का है, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जबकि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 अथवा 2001 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में कभी अध्ययन ही नहीं किया था। अतः वर्ष 1984 में नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता के लिए वर्ष 2000 के उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही नहीं था और न ही याचिकाकर्ता की नियुक्ति नलकूप चालक के पद पर उक्त दस्तावेज के आधार पर की गई थी। उक्त दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण एवं निहित स्वार्थ से कूटरचित किया गया था, जिसे प्रतिवादियों द्वारा की गई जांच में कूटरचित दस्तावेज पाया गया। तथापि, याचिकाकर्ता ने आगे यह भी कहा कि चूँकि उसने उक्त दस्तावेज कभी प्रस्तुत ही नहीं किया था, इसलिए उक्त दस्तावेज को याचिकाकर्ता के विरुद्ध विचार में लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता की सेवाएँ आक्षेपित आदेश दिनांक 11.06.2004 द्वारा समाप्त कर दी गईं। इससे क्षुब्ध होकर वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है और उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिस दस्तावेज को प्रतिवादियों द्वारा की गई जांच में कूटरचित दस्तावेज पाया गया है, वह याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति प्राप्त करते समय कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त दस्तावेज वर्ष 2000 से संबंधित है, जबकि याचिकाकर्ता को वर्ष 1981 में अखिल भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ द्वारा जारी मध्यमा के प्रमाण-पत्र एवं अंकपत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। चूँकि याचिकाकर्ता को वर्ष 1984 में नलकूप चालक के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उसकी नियुक्ति के समय वर्ष 2000 के प्रमाण-पत्र पर विचार किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण एवं निहित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्वार्थ से प्रस्तुत किए गए उक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध कायम नहीं रह सकतीं और आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

8. यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 14.06.2007 को एक अन्य आदेश भी पारित किया गया, जिसके द्वारा ऐसी नियुक्ति के कारण याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए वेतन की वसूली किए जाने की मांग की गई। उक्त आदेश दिनांक 14.06.2007 पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2007 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी।
9. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता यह इंगित करने में असफल रहे हैं कि जिस दस्तावेज पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध भरोसा किया गया है, वह याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1984 में अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कभी प्रस्तुत किया गया था। अन्यथा भी, वर्ष 1984 में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000 के किसी दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
10. ऐसी स्थिति में, आक्षेपित आदेश पूर्णतः अवैध है और आक्षेपित आदेश इस तथ्य की जांच किए बिना पारित किया गया है कि क्या वर्ष 2000 का उक्त दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति प्राप्त करते समय कभी प्रस्तुत किया गया था। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1984 में उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना तार्किक रूप से संभव ही नहीं था, क्योंकि प्रश्नगत दस्तावेज वर्ष 2000 से संबंधित है, जिसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था और जिसे कूटरचित पाया गया था।
11. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 11.06.2004 प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से मात्र दो माह पूर्व इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उद्देश्य से पारित किया गया कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध पेंशन संबंधी लाभ एवं अन्य परिणामी लाभों से वंचित किया जा सके।

12. ऐसी स्थिति में, आक्षेपित आदेश कायम रहने योग्य नहीं है तथा वह अवैध एवं निराधार है। तदनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 11.06.2004 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। दिनांक 14.06.2007 का आदेश परिणामी आदेश है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए वेतन की वसूली किए जाने की मांग की है। जब दिनांक 11.06.2004 का आदेश स्वयं निरस्त कर दिया गया है, तो परिणामी आदेश दिनांक 14.06.2007 भी एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

13. याचिकाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारी समस्त सेवानिवृत्ति देयों, पेंशन संबंधी लाभों तथा याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पूर्व सेवा की शेष अवधि के वेतन के हकदार होंगे। इस प्रकार निर्धारित की गई देय धनराशि को प्रतिस्थापित याचिकाकर्ताओं के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा तथा उक्त धनराशि का भुगतान इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा। याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने हेतु निर्धारित उक्त धनराशि पर याचिका की समाप्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 12 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”